न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
07 / 2013	01 / 03 / 2013	30/11/16

राधेश्याम पुत्र कान्हा जाति कीर निवासी दुर्जनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. सहायक वन संरक्षक वनमण्डल वन विभाग जिला कोटा (राज.)
3. कैलाशबाई पिता कान्हा जाति कीर निवासी दुर्जनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा
4. द्वारक्याबाई पिता कान्हा जाति कीर निवासी दुर्जनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा
5. नट्टीबाई पिता कान्हा जाति कीर निवासी दुर्जनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।
अप्रार्थी कम 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड0।
अप्रार्थी कम 3 ता 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दुर्जनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 की खाता सं. 53 में ख.नं. 522 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, ख.नं. 650 रकबा 7 बिस्वा, ख.नं. 636 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 652 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि मु जैली बेवा भागीरथ जाति कीर के खाते दर्ज है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहां गया है। यह कि विवादित भूमि का बाद बन्दोबस्त तुलनात्मक विवरण निम्न है

गत ख.नं.	रकबा	हाल ख.नं.	रकबा	कमी / बेसी
522	12 बीघा 2 बिस्वा (1.94 है.)	647	1.53 है.	0.41 है.
636	4 बीघा 9 बिस्वा (0.71 है.)	617	0.70 है.	0.01 है.
650	7 बिस्वा	626	17.20 है. (वन विभाग)	
652	3 बीघा 12 बिस्वा (0.63 है.)			

इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग द्वारा गत ख.नं. 522 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा (1.94 है.) के मुकाबले नवीन ख.नं. 647 रकबा 1.53 है. पैमुद कर 0.41 है. का कमी रकबा कारित कर दिया गया एवम् गत ख.नं. 650 रकबा 7 बिस्वा, ख.नं. 652 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, कुल 3 बीघा 19 बिस्वा (0.63 है.) के नवीन ख.नं. 626 रकबा 17.20 है., सिवाय चक नाबालिक काश्त दर्ज कर दी गई। जिसका कि बन्दोबस्त विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था जबकि प्रार्थी को इस सक्षम सम्मानीय न्यायालय की सहायता से उक्त त्रुटि सुधार करवाकर गत रकबे 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि के मुकाबले 3.28 है. भूमि स्वयं के खाते अंकित करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। जैली बेवा भागीरथ की मृत्यु हो चुकी है। जिसके मरणोपरान्त बन्दोबस्त से पूर्व नामा. सं. 1366 से जैली के बजाय कस्तुरी बेवा कान्हा के नाम दर्ज हुआ तथा नामा.सं. 325 दिनांक 17–6–2000 से कस्तुरी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5 का नाम बतौर वारिस राजस्व अभिलेखो में आया। अप्रार्थी क्र. 3, 4, 5 सह खातेदार होने से औपचारिक पक्षकार बनाऐ गऐ जिनसे कोई अनुतोष वांछित नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा पुनः त्रुटिकारित करते हुऐ सिवाय चक ख नं. 626 द्वारा नामा नं. 339 प्रति.क्रम 2 महकमा वन विभाग के खाते दर्ज कर दिया गया अप्रार्थी क्रम 1 का उक्त कृत्य सर्वथा अवैध एवं अकृत तथा प्रार्थी के हितों के विरुद्ध प्रभावहीन है। जबकि प्रार्थी आज भी अपने बन्दोबस्त से पूर्व के रकवे 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि के मुकाबले ही विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है।

वर्तमान राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज होने से अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा सतत रूप से धारा 91 एल.आर. एक्ट के अधीन प्रार्थी को बेदखल करने हेतु नोटिस दिया जाता रहा है। जिससे विवश होकर प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है चूकि प्रार्थी मु. जैली बेवा भागीरथ का उत्तराधिकारी होने से सम्पूर्ण विवादित आराजीयात का काबिजी है जिसकी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा बन्दोबस्त विभाग द्वारा कारित की गई त्रुटि के अनुसरण में विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 2 की खातेदारी में दर्ज करने जिसका कि उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरुद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित नही की गई तो प्रार्थी को जबरन उसके हक की जमीन से बेदखल कर देगें जिससे प्रार्थी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में ताफैसला वाद विरुद्ध अप्रार्थी क्रम 1 व 2 निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि वे स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि विवादित आराजी में प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें प्रार्थी के विरुद्ध विवादित आराजी पर 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही नही करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीक्रम 3 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी क्रम 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 626 रकबा 17.20 हैक्टर भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज है, तदर्थ उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गजट नोटिफिकेशन के बिना खातेदारी में दर्ज नही किया जा सकता है। एवं राजस्व अभिलेंख में वर्तमान मे ख. नं. 626 रकबा 17.20 हैक्टर वन विभाग के खाते में दर्ज है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित धारा 91 एल. आर. एक्ट के अधीन नोटिस देना विधिक प्रकिया है जो कि वन विभाग की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर बेदखल हेतु दिया गया है। जो विधिक प्रक्रिया है, एवं उक्त कृ षि आराजी पर वादी का कोई अधिकार निहित नहीं है। वादी द्वारा सूचना नोटिस धारा 80 सी.पी.सी के आज्ञापक प्रावधानों की विधिक रूप से पालना नही कियें जाने से वाद इम्मेचोर एवं काबिली खारिजी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज फरमाया जावें।

जवाब सरकार प्राप्त हुआ। तहसील रिपोर्ट अनुसार ग्राम दुर्जनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2031–34 की खाता संख्या 53 में ख0नं0 522 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 636 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 650 रकबा 7 बिस्वा, ख0नं0 652 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि मु0 जैली बेवा भागीरथ जाति कीर के खाते दर्ज है। वादी के द्वारा अन्य किसी समीपस्थ ख0नं0 में रकबा पूर्ति हेतु दावा नहीं किया हो एवं वादी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत ख0नं0 650 रकबा 7 बिस्वा व ख0नं0 652 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा से हाल ख0नं0 626 रकबा 17.20है0 सिवायचक कायम किए गए जो वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी के ख0नं0 647 रकबा 1.53है0 के समीपस्थ ख0नं0 643 रकबा 2.32है0, बाबूलाल पुत्र गोबरीया हि0 1/2 जाति बैरवा वगैरह, ख0नं0 644 रकबा 0.50है0, कमला पुत्री सुक्खा बैरवा हि0 1/12 वगैरह, ख0नं0 646 रकबा 1.58है0, कमला पुत्री सुक्खा हि0 1/12 वगैरह, ख0नं0 648/863 रकबा 1.10है0, धन्नालाल पुत्र प्रभूलाल मीना हिस्सा पूर्ण, ख0नं0 648 रकबा 1.10है0 कन्हेयालाल पुत्र प्रभूलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीना जमाबंदी अनुसार दर्ज है एवं दक्षिण में ख0नं0 810 रकबा 0.25है0 किस्म गैर मुमकिन बांध राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी के अन्य ख0नं0 617 रकबा 0.70है0 के समीपस्थ ख0नं0 609 रकबा 20.21 गै0मु0 नदी राज0 सरकार, ख0नं0 616 रकबा 18.20है0 वन विभाग, ख0नं0 619 रकबा 1.59 है0 वन विभाग, ख0नं0 618 रकबा 0. 30है0 महावीर पुत्र सीताराम हिस्सा पूर्ण जाति धाकड जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। अतः ख0नं0 647 के समीप अन्य खातेदारों की भूमि पूर्ण, ख0नं0 522 रकबा 12 बीघा 12

बिस्वा के ख0नं0 647 रकबा 1.53 है0 के अलावा अन्य नम्बर नहीं बने होने से वाद के रकबे में अन्य नम्बरों से पूर्ति किया जाना स्पष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार ख0नं0 617 के समीप अन्य खातेदारी की भूमि पूर्ण, ख0नं0 636 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के ख0नं0 617 रकबा 0.70है0 के अलावा अन्य नम्बर नहीं बने होने से वादी के रकबे में अन्य नम्बरों से पूर्ति किया जाना स्पष्ट नहीं होता है।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है क्योंकि मुताबिख राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी वन विभाग के नाम दर्ज है। कब्जा संबंधी कोई प्रमाण पत्रावली में नहीं है तथा क्या और कौनसी अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है जिसकी पूर्ति मुद्रा के द्वारा नहीं की जा सकती। यह विवेचित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योगय नहीं है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा